रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102022-239705 CG-DL-E-17102022-239705

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4695] No. 4695] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2022/आश्विन 25, 1944 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4907(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतित होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए:

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना धोन, क्रिष्णागिरि, गुडूर, कल्लुरु तथा कर्नूल मंडल, कर्नूल जिला से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री के. मधुसूदन राव, सक्षम प्राधिकारी, हासन - चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हाउस नं. 6-2-425-2, एस.वी. निवास, नारायणा कान्सैप्ट स्कूल के पीछे कोवुर नगर एक्सटेंसन, अनंतपुरमु, आंध्रा प्रदेश-515001 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।,

7005 GI/2022 (1)

अनुसूची

मंडल : धोन		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश		
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				एकर्	सेंट्स	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	धोन	एदुपेंटा	845/2	00	07	
मंडल : क्रिष्णागिरि		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश		
क्रमांक	मंडलका नाम	गाँवका नाम	सर्वेनं.	क्षेत्रफल		
				एकर्	सेंट्स	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	क्रिष्णागिर <u>ि</u>	चित्याला	801/1	00	05	
2			761/2	00	20	
3	क्रिष्णागिरि	कंबालापाडु	240(नहर)	00	11	
मंडल : गुडूर		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश		
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
क्रमाक				एकर्	सेंट्स	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	गुडूर	बुदीडापाडु	124/2B3	00	01	
मंडल : कल्लुरु		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश		
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				एकर्	सेंट्स	
1	कल्लुरु	पारला	279/1	00	01	
मंडल : कर्नूल		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश		
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				एकर्	सेंट्स	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	कर्नूल	गोपालासिंगावरम	309	00	02	

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2022

S.O. 4907(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Dhone, Krishnagiri, Gudur, Kallur & Kurnool Mandals of Kurnool District of Andhra Pradesh State, and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri. K.Madhusudhana Rao, The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited H.No..6-2-425-2, S.V.Nivas, Behind Narayana Concept School, Kovur Nagar Extension, Ananthapuramu, AP-515 001

SCHEDULE

Mandal: Dhone		Dist: Ku	State: Andhra Pradesh		
Sl.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
No.		Traine of the Village	Survey No.	Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dhone	Eddupenta	845/2	00	07
Mandal: Krishnagiri		Dist: Kurnool		State: Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Krishnagiri	Chityala	801/1	00	05
2			761/2	00	20
3	Krishnagiri	Kambalapadu	240(Canal)	00	11
Mandal: Gudur		Dist: Kurnool		State: Andhra Pradesh	
S1.	Name of the Mandal	Name of the Village	C N	Area	
No.			Survey No.	Acres	Cents
1	Gudur	Budidapadu	124/2B3	00	01
Mandal: Kallur		Dist: Kurnool		State: Andhra Pradesh	
S1.	Name of the Manda	Name of the Village	CN-	Area	
No.			Survey No.	Acres	Cents
1	Kallur	Parla	279/1	00	01
Mandal: Kurnool		Dist: Kur	State: Andhra Pradesh		
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
			Survey No.	Acres	Cents
1	Kurnool	G. Singavaram	309	00	02

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.